पत्रांक 4966 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / प्रवर्तन–अनु0 / 2012–13 / दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक:26 फरवरी, 2013

विज्ञप्ति

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–50–क के अन्तर्गत)

वैट अधिनियम में किये गये संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 01 मार्च 2013 को समस्त जाँच चौकियाँ समाप्त हो जायेगी, परन्तु इससे पूर्व माह फरवरी 2013 के अंत में पूर्व प्राविधानों के अनुसार राज्य के प्रवेश के समीप स्थापित जाँच चौकियों से जारी कराये गये ऐसी बहतियाँ(ट्रांजिटपास) हो सकती हैं जो दिनांक 28–02–2013 तक खारिज न हो सकी हो। अतः दिनांक 01–03–2013 से पूर्व जारी ऐसी बहतियों को खारिज किये जाने के उद्देश्य से राज्य के निकास के समीप उन निम्न स्थानों पर, जहाँ दिनांक 01–03–2013 से पूर्व जाँच चौकियाँ स्थापित रही हैं, दिनांक 01–03–2013 से दिनांक 03–03–2013 तक की अल्प अवधि के लिए जाँच चौकियों की स्थापना की जाती है:–

क्र0 सं0	निकास जाँच चौकी का नाम	जिला
1.	कुल्हाल	देहरादून
2.	तिमली	देहरादून
3.	आशारोड़ी	देहरादून
4.	चौली	हरिद्वार
5.	अमरपुर	हरिद्वार
6.	नारसन	हरिद्वार
7.	तुगलपुर	हरिद्वार
8.	चिड़ियापुर	हरिद्वार
9.	कौड़िया	पौड़ी गढ़वाल
10.	धर्मपुर	ऊधमसिंह नगर
11.	शाहगंज	ऊधमसिंह नगर
12.	महेशपुरा	ऊधमसिंह नगर
13.	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
14.	सुतईया	ऊधमसिंह नगर
15.	टेड़ाघाट	ऊधमसिंह नगर

जाँच चौकी को पार करने से पूर्व यान को रोका जायेगा और जारी कराई गई बहती की दो प्रतियाँ एवं माल के साथ ले जाये जाने वाले समस्त वांछित दस्तावेजों को इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और ऐसे अधिकारी को माल की तलाशी एवं माल एवं दस्तावेजों की जाँच करने दिया जायेगा। जाँच के उपरान्त संतुष्ट होने पर अधिकारी द्वारा बहती की एक प्रति माल से सम्बन्धित प्रपत्रों सहित वापस की जायेगी। यान द्वारा ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया जायेगा।

उक्त के निमित्त सचलदल इकाई के उस असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं उस वाणिज्य कर अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त जाँच चौकियाँ होगी।

यह विज्ञप्ति दिनांक 01–03–2013 से प्रवृत्त होगी।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तरखण्ड।

क्रमशः पेज–2

पृ0प0सं0 4966 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून

3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेसन/उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

10– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून/वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

11– डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

12– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

13– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

14– इन्टावेट ईन्फो प्रा0लि0–4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर–13 आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई–400001।

15– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।

16– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

17– स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002।

18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

19– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।

20– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।